योजनान्त... किये जाने हेतु ... निर्गत किया जाना

संख्या-16 /2024/608/सत्रह-म-2024-17-1002(099)/55/2019

प्रेषक,

सुनील कुमार वर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
मत्स्य विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग ——— लखनऊः दिनांक 02 मई, 2024

विषयः अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-15/2024/558/सत्रह-म-2024-17-1002(099)/55/2019 दिनांक 30 अप्रैल, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अनुदान संख्या-17, लेखाशीर्षक 2405- मछली पालन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु प्राविधानित बजट के सापेक्ष मतदेय धनराशि रू0 13938.38 लाख एवं भारित मद में रू0 9.50 लाख अर्थात् कुल धनराशि रू0 13947.88 लाख (एक अरब उनतालीस करोड़ सैंतालीस लाख अट्ठासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अपरिहार्य कारणोवश उक्त शासनादेश दिनांक 30 अप्रैल 2024 का क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया जाता है।

भवदीय

(सुनील कुमार वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 16 /2024/ 688(1) /सत्रह-म-2024 तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी उ0प्र0।
(5) संयुक्त निदेशक मत्स्य/उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय, उ0प0।
(6) वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय, उ0प0।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-3
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरीश कुमार)
अनु सचिव।